अनुस्मारक - 1

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE COPORATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम
Sub Regional Office Gurugram
प्लाट सं.- 47, सेक्टर- 34/Plot No.-47, Sector-34
गुरुग्राम, हरियाणा/Gurugram, Haryana – 122001
दूरभाष/Tel: 0124-4085695
ई-मेल/Email: sro-gurgaon@esic.nic.in
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in

सं. रा.भा./03/2023/राजभाषा(गृह पत्रिका) दिनांक- /10/2025

परिपत्र

विषय - विभागीय हिंदी पत्रिका "द्रोण ज्योति" के द्वितीय अंक हेतु लेख/रचनाएं आमंत्रित करने बारे ।

इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक - 22.08.2025 के अनुसार उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालयों में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी गृह पत्रिका **"द्रोण ज्योति" - द्वितीय अंक** में प्रकाशनार्थ मौलिक रचनाएं यथा - कहानी, कविता, यात्रा संस्मरण, रेखाचित्र एवं निगम/कार्यालय की गतिविधियों से संबंधित लेख आदि अपने पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अधिकतम दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक आमंत्रित किए गए थे । किन्तु अब तक केवल कुछेक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही अपनी रचनाएँ राजभाषा शाखा में प्रस्तुत की है जो कि अपर्याप्त है ।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका "श्रम ज्योति" को हाल ही में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि आप सभी के सहयोग एवं प्रयासों का ही परिणाम है ।

अतः आप सभी से पुनः आग्रह है कि द्रोण ज्योति के द्वितीय अंक में प्रकाशनार्थ आपकी मौलिक रचना दिनांक 10 नवम्बर, 2025 तक राजभाषा शाखा में प्रस्तुत करें । साथ ही सभी शाखा कार्यालय प्रबंधकों से विशेष आग्रह है कि बीमाकृत व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को प्रदान किए गए हितलाभ से संबंधित वृतांत/कहानी भी राजभाषा शाखा में प्रस्तुत करें जो कि पत्रिका के इस अंक के लिए मूल्यवान साबित होंगे ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें ।

Digitally signed by
Sweety Yadav
Date: 08-10-2025
13:14:46
(डॉ. स्वीटी यादव)
सहायक निदेशक(रा.भा.)

सेवा में,

1. सभी शाखाधिकारी/शाखाएं/कार्यालय अधीक्षक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, गुरुग्राम ।
2. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, धारूहेड़ा/मानेसर/डुंडाहेड़ा/राजीव चौक गुरुग्राम ।
3. वैयक्तिक सहायक कक्ष/सूचना पट्ट ।

नोट - कृपया ध्यान दें कि रचनाओं में भारत सरकार , किसी राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र, किसी विभूति तथा किसी कार्यालय अथवा क.रा.बी. निगम के नियमों, प्रतिमानों व आदर्शों के विरुद्ध किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी व शब्द का प्रयोग न हो तथा किसी भी रचना के संबंध में कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन न हो । रचना की मौलिकता के संबंध में रचनाकार घोषणा-पत्र संलग्न करें । यदि कोई उद्धरण या साभार संकलित सामग्री हो तो उसका उचित संदर्भ दिया जाए ।